12/10/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 10.10.2023 को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा में दिनांक 19.02.2020 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के पश्चात प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा जब राजस्व रिकार्ड में अपने हक व हिस्से की आराजी बाबत् अपना नाम अंकित करवाने की कार्यवाही की गई, तब प्रार्थी को आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित नहीं करवा पा रहा है तथा अपने विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है इसलिए प्रार्थी द्वाा अपने अभिभाषक से दिनांक 15.09.2023 को सम्पर्क कर आक्षेपित आदेश के विरूद्ध वैधानिक उपचार बाबत् राय मशवरा किया। जिस पर अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को आक्षेपित आदेश के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय प्रदान की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2023 को आक्षेपित आदेश एवं आवश्यक दस्तावेजों को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18.09.2023 को प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतियॉ व प्रकरण सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थी दिनांक 26.09.2023 को अजमेर आया तथा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया, जिनके द्वारा बिना किसी देरी के उक्त अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, जो सद्भाविक होकर क्षमा किए जाने योग्य है। मियाद अधिनियम का बिन्दु एक तकनीकी बिन्दु है तथा प्रस्तुत अपील को तकनीकी बिन्दु पर नहीं देखा जाकर गुणावगुण पर देखा जाना न्यायहित में आवश्यक है, कानून्न भी अपील प्रस्तुत करने में कोई समयावधि नहीं है। मियाद कानून प्रक्रियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है, न्याय का हनन करने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी का प्रकरण गुणावगुण पर बनता है एवं यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब प्रकरण गुणावगुण पर निष्प्रित किए जाने योग्य हो तो उसे मियाद के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा वाद व राजस्व प्रार्थनां पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.13 है0 वाकै ग्राम मांगलवाड़ा तहसील मौजमाबाद बाबत् प्रस्तुत किया है जबकि खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.13 है0 का विक्रय रंगलाल पुत्र छीतर द्वारा अपने जीवनकाल में वर्तमान अपीलांट के हक में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया था। इस प्रकार खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 2021/1895 अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, जिस बाबत् वाद प्रस्तुत करने का विपक्षी को कतई कोई अधिकार नही है। अपीलांट मूल खातेदार रंगालाल पुत्र छीतर का विधिक वारिस होकर विवादित आराजीयात में उसका हक व अधिकार निहित है लेकिन विपक्षीगण द्वारा पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात को उलझा रखा है जिससे अपीलांट अपने हक व अधिकारों की आराजी को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। विपक्षी रामनारायण द्वारा उक्त वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा होने के तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष लगभग उक्त तथ्यों के साथ अन्य

12.10.2023

—धरणीसिंह v/s रामनारायण (292/2023)

वाद संख्या 14/2020 व राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 10/2020 (130/2023) बउनवानी रामनारायण बनाम जवाहरलाल खाता संख्या 252 के खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.14 है0 वाकै ग्राम मांगलवाड़ा बाबत् प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.09.2020 जारी किया है, जिसमें कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रहा है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। आदेश 39 नियम 3 ए सी.पी.सी. में यह आदेशात्मक प्रावधान है कि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के पश्चात एक माह में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जाना चाहिए। एक माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाए जाने हेतु न्यायालय का कारण अंकित करना होगा, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2020 को वर्तमान तक प्रभावी रखा जा रहा है जो कानूनी की कतई मंशा नहीं है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उक्त कानूनी प्रावधाना के तहत् काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थी अपने हक व अधिकारों के उपयोग उपभोग से भी वंचित हो रहा है जिसस प्रार्थी को अपार क्षति कारित हो रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित किए जाने बाबत् आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 10/2020 रामनारायण बनाम जवाहर एवं अन्य का अवलोकन किया गया। दिनांक 20.2.2020 को वर्तमान अप्रार्थी एक द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुनवाई के बाद विवादित खसरा नम्बर 2021/1895 रकबा 3.1300 है0 ग्राम मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से भूमि को विक्रय नहीं करने बक्शीश नहीं करने रहन नहीं रखने आदि से पाबंद करते हुए रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत आदेश जारी किया गया। दिनांक 23.2.2021 को वर्तमान प्रार्थी एवं अन्य की ओर से शिवराम शर्मा द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई। दिनांक 25.1.2022 को वर्तमान प्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। अब प्रोसिडिंग दिनांक 24.8.2023 तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई बहस नहीं सुनी गई है यह स्पष्ट होता है। वकील प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में यही निवेदन किया है कि उक्त विवादित आदेश की वजह से नामांतरकरण नहीं खुलने से उन्हें आक्षेपित आदेश की जानकारी हुई है, तथा यह भी अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बाद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। इस वजह से दिनांक 15.9.2023 को अपने अभिभाषक से संपर्क कर विधिक राय प्राप्त की गई इसी दिनांक को नकल हेतु आवेदन प्राप्त कर दिनांक 18.9.2023 को नकल प्राप्त की गई। दिनांक 26.9.2023 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गई। साथ ही अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है न्याय का हनन करने के लिए नहीं है तथा अपील को तकनीकि बिंदु पर न देखा जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाए। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाए।

यह सही है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किए बाद अधीनस्थ न्यायालय के 212 के प्रार्थना पत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही जवाब प्राप्त होने के बाद नहीं कि गई उनके द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2020 की प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.8.2023 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाकर वहां 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया। अपीलांट के पास अपील के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। न्यायालय प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहेगा। यह बात भी सही है कि मियाद अधिनियम

12.10.2023

राजस्व अपील अधिकारी

अजमेर

चरण सिंह V/s रामनारायण (2023/292)

प्रक्रियात्मक कानून है जो न्याय प्रदान करने के लिए है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट आपस में एक ही परिवार के सदस्य होकर भाई भाई है। मूल पुरूष छितर था जिसके रंगलाल, हिरा, काना, हजारी, रामरत्न और रामदयाल पुत्र हुए थे। रंगलाल के पत्नी रामकन्या थी जिसकी मौत हो चुकी है तथा इसके पुत्र जवाहर रामनारायण, हनुमान, चरणसिंह, शिवराज एवं पुत्री सीतादेवी है। रंगलाल की संपत्ति का विवाद है। रेस्पोडेंट का यह मानना है कि रंगलाल ने अकेले के नाम विरासत से भूमि अपने नाम करवाई है। उक्त भूमियां तीन अलग अलग गावं में गणेशपुरा, डोगरा एवं मांगलवाडा तहसील मौजमाबाद में है। उक्त तीनों भूमियां रंगलाल के नाम बताई गई है। गावं गणेशपुरा व डोगरा की भूमियों में कोई विवाद नहीं है। सिर्फ मांगलवाडा की भूमियों बाबत विवाद है। मांगलवाडा की भूमि स्वयं रंगलाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई थी। रंगलाल से भूमि चरण सिंह एवं शिवराज ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 28.10.2016 को क्रय की ग्राम पंचायत में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से नामांतरकरण द्वारा नाम खुलवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना की थी मगर ग्राम पंचायत द्वारा चरणसिंह व शिवराज के नाम खोलने के बजाए रंगलाल के सारे वारिसों के नाम नामांतरकरण खोल दिया। जबकि उसे सिर्फ चरणसिंह व शिवराज के नाम ही नामांतरकरण खोलना था क्योंकि इनके द्वारा ही भूमि क्रय की गई थी। गलत नामांतरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दूदू में रामकन्या द्वारा भी की गई तथा एक अपील चरणसिंह द्वारा भी की गई। उक्त दोनों अपीलों को समेकित कर दिनांक 18.1.2021 को हमारी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। इसकी अपील फिर रेस्पोडेंट द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय जयपुर में की गई जहां इनकी अपील खारिज कर दी गई। हनुमान रंगलाल का वारिस था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चरणसिंह थांवला नागौर में रहता है जबकि शिवराज फौज में नौकरी करता है। नामांतरकरण की अपीलें इनके विरूद्ध निस्तारित हो चुकी है मगर अबतक यह राजस्व मण्डल में नहीं गए हैं। रेस्पोडेंट द्वारा हमारे विरूद्ध तीन वादपत्र एवं 212 के प्रार्थना पत्र लगा रखे हैं। रामनारायण बनाम रंगलाल, जिसका प्रकरण संख्या 125/2016 उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11.2016 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। हमारे जवाब प्रस्तुत किया हुआ है मगर अबतक 212 के प्रार्थना पत्र में अंतिम निस्तारण नहीं किया गया। उक्त वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अभी एसडीओ मौजमाबाद द्वारा सुने जा रहे है। जहां इसे 129/2023 नम्बर दिया गया है।

वर्तमान प्रकरण 10/2020 रामनारायण बनाम जवाहरलाल में दिनांक 19.2.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हमारे जवाब प्रस्तुत है मगर 212 के प्रार्थना पत्र का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। उक्त प्रकरण अभी उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के यहां विचाराधीन है जिसे 103/2023 नम्बर से दर्ज किया हुआ है। एक अन्य वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अनिता बनाम रामनारायण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र की संख्या 13/2021 है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 26.2.2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेंट के आग्रह पर हमारे विरूद्ध दी गई है। हमने जवाब पेश कर दिया है, मगर अंतिम आदेश अभी तक नहीं किया गया है। प्रार्थीया हनुमान की पुत्री व रंगलाल की पोती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की कोई पालना नहीं की है। अभी तक 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः अपीलाधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्थगित किया जाए।

बहस बिंदुओं पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिए गए जवाब का अवलोकन किया गया बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 7/2016 निर्णय दिनांक 18.1.2021 रामकन्या बनाम सरपंच एवं अन्य द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय दूदू एवं इसकी अपील एक अन्य प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर बनाम रामनारायाण बनाम संरपंच निर्णय दिनांक 23.1.2023 प्रस्तुत की है।

—रूपसिंह व/s रामनारायण (292/2023)

यह सही है कि रंगलाल से शिवराज एवं चरण सिंह ने विवादित भूमि विकय पत्र से खरीद की गई थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 7/2016 में अपने निर्णय दिनांक 28.1.2021 में ग्राम पंचायत द्वारा रंगलाल के सभी वारिसों के नाम खोला गया नामांतरकरण 480 ग्राम पंचायत मांगलवाडा को गलत मानते हुए खारिज किया था । इसकी अपील भी रेस्पोडेंट रामनारायण द्वारा 51/2021 से की गई थी जिसे दिनांक 23.1.2023 को अपीलांट रामनारायण की अपील को खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 18.1.2021 को यथावत रखा। स्पष्ट है कि विवादित भूमि के विधिनुसार अपीलांट स्वामी है एवं उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर बनना पाया जाता है। उक्त भूमि दोनों न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में रंगलाल द्वारा स्वअर्जित भूमि मानी गई है तथा कयकर्ता होने से प्रार्थी का हक अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है वह अपनी कयशुदा भूमि का नामांतरकरण नहीं करवा पा रहा है साथ ही भूमि पर सरकार की योजनाओं से दिए जाने वाले लाभों से भी वंचित है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से प्रार्थी को विशद अनिष्ट हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर विचार किए बिना रेस्पोडेंट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कि गई है जो उचित नहीं है। भूमि कय कर लिए जाने से अपीलांट को खातेदार ही माना जाएगा और एक खातेदार के विरूद्ध टीआई जारी नहीं की जा सकती है ऐसा कई न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ द्वारा प्रकरण जगदीश बनाम भोपालाराम में दिए गए न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण में दी गई गाईडलाइन की अवहेलना की है जो उचित नहीं हैं इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं नियमों की अवहेलना किए जाने से एवं प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के बावजूद उसी के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि है जो उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.2.2020 की पालना एवं प्रभाव तथा कियान्विति को अंतरिम रूप से स्थगित किया जाता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर एक माह की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारण करे। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

-Sd/- 12/10/2023

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व ,अपील प्राधिकारी, अजमेर
अपील टी0ए0 संख्या 292/2023 जिला दूदू

2023 | 292

चरणसिंह पुत्र रंगलाल, जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

-- अपीलांट

बनाम्

1. रामनारायण पुत्र रंगलाल
2. जवाहरलाल पुत्र रंगलाल
3. हनुमान पुत्र रंगलाल
4. शिवराज पुत्र रंगलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी गणेशपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद।
6. उप पंजीयक मौजमाबाद।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय, दूदू दिनांक 19.2.2020 जो प्रकरण संख्या 10/2020 (130/2023) बउनवानी "रामनारायण बनाम जवाहरलाल" में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलांट निम्न रूप से निवेदन करता है :-

(अ) यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने पूर्व मे एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र संख्या 182/2016 के साथ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या